न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/50

दायरा तिथि : 16.02.2023

आदेश तिथि : 20-11-2023

प्रार्थी :–

मोहनलाल पुत्र नवाराम जरिये मुख्यत्यारनामा वी.आर. ग्रुप ऑफ इस्टीट्युशन जरिये सचिव ललित रांगी निवासी महावीर नगर, बाली तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 20-11-2023

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांचलवाडा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 511/374 रकबा 0.2400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से निजी खातेदारी भूमि ग्राम पांचलवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 510/374 रकबा 0.2400 हैक्टर व राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 371 रकबा 0.7900 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 20 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर हितबद्ध अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार बाली से रेकॅर्ड व मौका स्थिति की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गयें। प्रकरण के चलते प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के शीर्षक में संशोधन का निवेदन किया गया। जिस प्रार्थना पत्र पर वकुलाय को सुनने के पश्चात न्यायालय आदेश दिनांक 04.04.2023 प्रार्थना पत्र शीर्षक में संशोधन करते हुए प्रार्थी मोहनलाल के आम मुख्त्यार ललित रांगी बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बाली अंकन किये जाने के आदेश दिये गए। प्रकरण के चलते प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र मे वर्णित रूट के रास्ता में गै.मु. पत्थर किस्तम की भूमि रास्ता के लिए अनुपलब्ध होने से पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संशोधन कर आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 510/374 से जुडता खसरा नंबर 353 रकबा 1.44 हैक्टर राजकीय सिवायचक भूमि होने तथा उक्त नवीन रूट से न्युनतम मार्ग/रास्ता खसरा नंबर 335 गै.मु. रास्ता तक पहुंच मार्ग होने से पूर्व मे प्रस्तुत आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस के पश्चात दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश–6 नियम–17 में वर्णित प्रावधानों पर मनन के पश्चात दिनांक 26.09.2023 को आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधन के आदेश दिये जाकर तहसीलदार बाली से उक्त संशोधित प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शा में वर्णित रूट से रास्ता उपलब्ध कराये जाने के संबध में रिपोर्ट तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1283 दिनांक 13.10.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, मौखमपुरा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1 यह कि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 511/374 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री मोहनलाल पुत्र नवाराम जाति मेघवाल निवासी बमणिया हाल जोधपुर के नाम से राजस्व रेकॅर्ड में दर्ज है। वर्तमान में खातेंदार आवागमन के लिए खसरा नंबर 353 की भूमि का उपयोग करता है।

2 यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	353	1.4400 हैक्टर	गै.मु. पत्थर	90X4=360 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

पेज लगातार....................02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/50

अनवान मोहनलाल पुत्र नवाराम जरिये मुख्त्यारनामा वी.आर.ग्रुप ऑफ इन्स्टीटुशन जरिये सचिव ललित रांगी बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम पांचलवाडा की डी.एल.सी. दर 243796 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम पांचलवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 511/374 रकबा 0.2400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1283 दिनांक 13.10.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि पांचलवाडा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 511/374 रकबा 0.2400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पांचलवाडा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 353 रकबा 1.4400 हैक्टर में से **360 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 243796/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
353	1.4400 हैक्टर	90X4=360 वर्गमीटर	25	9000X2= 18000	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 18000/– **(अक्षरे अठारह हजार रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. मीखमपुरा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.
दिनांक : 20-11-2023

क्रमांक/कोर्ट/2023/790-794

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मीखमपुरा
3. पटवारी हल्का, गुडालास
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक मोहनलाल पुत्र नवाराम जरिये मुख्यत्यारनामा वी.आर. ग्रुप ऑफ इस्टीटयुशन जरिये सचिव ललित रांगी निवासी महावीर नगर, बाली तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.